तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07 08/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21/04/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	21/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी की गई। गत आदेश की पालना में दिनांक 6/5/25 को पेश हो। [redacted]डर
06 05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/05/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
14 05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पैरोकार सरकार तहसीलदार बांदीकुई उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/05/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
26 05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार बांदीकुई उप०। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। हमने वकील प्रार्थीगण बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 02.06.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
02 06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस परसनन किया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया। अतः बहस पर मनन करने से पत्रावली के अवलोकन के आधार पर उक्त उनवानी प्रकरण भोलासिंह बनाम जगदीश में न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेशिका दिनांक 4/10/2023 को खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न वाकपत्र रहे। 02/6/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 130/2023

दर्ज दिनांक 04.10.2023

निर्णय दिनांक 02/06/2025

उनवान

भोलासिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र चन्दर जातियान गुर्जर निवासी कंवरपुरा
मुलचन्द पुत्र चन्दर तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई

– अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थी की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण जरिये वकील प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ा न्यायालय हाज में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थी ने ाज ही माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष एक दावा पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी के ामयाब होने की पूरी–पूरी सम्भावना है कि दावा प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होगा। ग्राम वरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता सं. नया 41 पुराना 34 के ख. 135 रकबा 0.07 हैक्टे., ख.नं. 136 रकबा 0.23 हैक्टे., ख.नं. 137 रकबा 0.08 हैक्टे., ख.नं. 19 रकबा 0.55 हैक्टे,, ख.नं. 220 रकबा 0.48 हैक्टे., ख.नं. 215 रकबा 2.66 हैक्टे., ख.नं. 18 रकबा 0.70 हैक्टे. कुल किता 07 कुल रकबा 4.97 हैक्टेयर है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित भूमि के साबिक नं. 36/1 मिन रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा रहे है तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 03 लगायत 10 के साबिक नं. 36/1 के बाद रास्ते की भूमि साबिक नं. 5 व छोडकर अप्रार्थी सं. 01 व 02 की भूमि साबिक नं. 33 रही है एवं रास्ते की भूमि ाबिक नं. 15 रही है। नकल मिलान क्षेत्रफल व साबिक जमाबन्दी पेश है। प्रार्थना पत्र के ा नम्बर 01 में वर्णित भूमि साबिक नं. 36/1 से बनी है। जिसका राजस्व अभिलेख मावंदी में इन्द्राज हो रहा है, किन्तु वर्तमान नक्शा शीट में रकबा लगभग 0.10 हैक्टे. कम मे की तरमीम कर रखी है, जबकि मौके पर प्रार्थी का रकबा 5.11 हैक्टे. पर काबिज है था भू प्रवन्ध से पूर्व ही चारो ओर खसरा नं. 135, 136, 137, 219, 220, 215, 218 पर ाम पाल बनी हुई है। भू प्रबन्धक द्वारा खसरा नम्बर 154 जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं 3 लगायत 10 की खातेदारी साबिक नं. 36/1 से बने है किन्तु उक्त खसरा नं. 154 को बन्ध की कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी सं. 01 व 02 की खातेदारी में गलत जोड दिया ं साबिक नं. 15 का रकबा नक्शासीट में करीब 0.07 हैक्टेयर अधिक बढ़ा कर उसके र्तमान खसरा नं. 133, 138, 145 बना दिये जो मौके से भिन्न रकबा बना कर प्रार्थी व प्रार्थी सं. 03 लगायत 10 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 220, 136, 218, 219 में से रकबा 10 हैक्टेयर कम कर दिया। जो नजरी नक्शा बरंग सुर्ख एबीसीडीई से दर्शित किया है, स्तविकता में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 03 लगायत 10 की भूमि रकबा 5.11 हैक्टे. भूमि है।

Scanned with OKEN Scanner

सके बाद अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 की खसरा नं. 155 के बाद की भूमि है, किन्तु भू बन्धक की गलत तरमीम के कारण अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के नाम खसरा नं. 154 की मि का एवं रास्ते की भूमि खसरा नं. 133, 138, 145 का वास्तविक रकबे से रकबा करीब 07 हैक्टेयर अधिक का नक्शासीट में गलत इन्द्राज कर दिया। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी 03 लगायत 10 का रकबा 0.10 हैक्टे. लगभग जो कम कर दिया है, उस रकबे को म करने का भू प्रबन्धक को कोई अधिकार नहीं है, भू प्रबन्धक अधिकारी व कर्मचारियों ारा बिना किसी अधिकार विधि विपरीत नक्शे में गलत तरमीम कर वास्तविक रकबे से म रकबा करने की तरमीम की है, जिसका न तो कोई औचित्य व न भूप्रबन्धक को कोई धिकार है। भू प्रबन्ध अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार विधि विपरीत क्शे में गलत तरमीम कर रकबे को कम किया है, जिसे राजस्व अभिलेख जमाबंदी के नुसार भू प्रबन्ध से पूर्व जो नक्शा शीट में इन्द्राज है, जिसके अनुसार वर्तमान नक्शे में शोधन होना आवश्यक है तथ दुरूस्ती इन्द्राज पेश है। दिनांक 10.09.2023 को अप्रार्थीगण 01 व 02 द्वारा प्रार्थी की खाम पाल को तोडने पर आमादा होने पर अपनी भूमि नक्शा स का पटवारी हल्का से सीमांकन कराने पर पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी के अनुसार क्शे में रकबा कम होना बताया, तब प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई कि क्शे में भू प्रबन्धक द्वारा गलत तरमीम कर वाद पत्र के पैरा नं. 01 में दर्शित प्रार्थी व प्रार्थीगण सं. 03 लगायत 10 की भूमि का रकबा करीब 0.10 हैक्टे. कम कर अप्रार्थीगण 01 व 02 के नाम खसरा नं. 154 का गलत इन्द्राज कर दिया एवं रास्ते के खसरा नं. 33, 138, 145 में बरंग सुर्ख एबीसीडीई स्थान पर करीब 0.10 हैक्टे. भूमि अप्रार्थीगण सं. व 02 व रास्ते के उक्त खसरा नम्बर 133, 138, 145 में गलत तरमीम कर रखी है। र्थी ने हल्का पटवारी से दुरूस्ती के लिये कहा तो हल्का पटवारी ने कहा कि न्यायालय दावा पेश कर आदेश प्राप्त करे व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 से सहमति प्राप्त करें। प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 से तहसील बांदीकुई में चलकर उक्त गलत नक्शा ट्रेस में तरमीम है, उसे दुरूस्त करवाने को कहा तो एलानियां मना कर दिया और अप्रार्थीगण 01 लगायत 02 ने उल्टा प्रार्थी से कहा कि हम तो जहां हमारे नक्शे में तरमीम हो रही उस सीमा तक हम तुम्हारी खाम पाल को तोडकर उस पर पुख्ता निर्माण कर उस स्से की भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगें, प्रार्थी ने काफी समझाया कि यह गलत न्द्राज भू प्रबन्धक की वजह से हुआ है। तुम्हारा खसरा नं. 154 की भूमि से कोई वास्ता हीं है, किन्तु अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 ने एलानियां कह दिया कि हम किसी की नहीं नेगें और हमारी पहुंच आगे तक है और इस नक्शे के आधार पर हमें निर्माण करने से लिस या कोर्ट कोई नहीं रोक सकता इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश है। र्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 03 लगायत 10 खातेदार ाश्तकार है तथा जमाबन्दी में वर्णित श्रीकृष्ण, हरिसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रार्थीगण सं. 05 लगायत 10 वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी है तथा अप्रार्थी सं. 03 गायत 10 प्रार्थी के साथ उक्त भूमि के सहखातेदार होने से तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया है तसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा श है। प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबिले प्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर वेदन हैं कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें क वे स्वयं उनके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, मददगारान भूमि की जो गलत तरमीम प्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 व रास्ते के खसरा नं. 133, 138, 145, बरंग 154 सुर्ख

Scanned with OKEN Scanner

ीसीडीई तक जो गलत इन्द्राज कर रखा है, उस गलत इन्द्राज की आड में अप्रार्थीगण 01 व 02 उक्त बरंग सुर्ख एबीसीडीई स्थान तक किसी भी प्रकार का कोई खाम या ना निर्माण नहीं करे, फसल बोने व काटने में व्यवधान पैदा न करें, प्रार्थी के प्रयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा न करें। इस अमर से अप्रार्थीगण उसके वारिसान नौकर एजेन्ट पाबंद रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण उपस्थित नही ने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई प्रकरण बहस पर नियत किया या। बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को हराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विनिश्चिय हेतु तीन आधारभूत विचारणीय बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सूविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षती।

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दु पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने हस विद्वान प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 133, 138, 145 का स्तविक रकबे से रकबा करीब 0.07 हैक्टेयर अधिक का नक्शासीट में गलत इन्द्राज कर या। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 03 लगायत 10 का रकबा 0.10 हैक्टे. लगभग जो कम र दिया है, उस रकबे को कम करने का भू प्रबन्धक को कोई अधिकार नहीं है, भू न्धक अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार विधि विपरीत नक्शे में गलत रमीम कर वास्तविक रकबे से कम रकबा करने की तरमीम की है, जिसका न तो कोई ौचित्य व न भूप्रवन्धक को कोई अधिकार है। भू प्रबन्ध अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार विधि विपरीत नक्शे में गलत तरमीम कर रकबे को कम किया है, जिसे जस्व अभिलेख जमाबंदी के अनुसार भू प्रबन्ध से पूर्व जो नक्शा शीट में इन्द्राज है, जसके अनुसार वर्तमान नक्शे में संशोधन होना आवश्यक है तथ दुरूस्ती इन्द्राज दावा पेश किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण का वाद न्यायालय में चाराधीन है जिसका निर्णय पर्याप्त साक्ष्य / सबूतो के आधार पर किया जाना। वादग्रस्त मि खसरा नम्बर के खसरा नं. 133, 138, 145, 154 में प्रार्थी खातेदार नही किसी ातेदार किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि मे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष मे साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है।

सूविधा का संतुलन तथा 3 बिन्दु अपूर्णीय क्षती

इन दोनो बिन्दुओ का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है जहा तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षती के बिन्दु का संबंध है इस संबंध में न्यायालय की राय है कि प्रथम दृष्टया पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नही आया है जिससे यह माना जा सके की विवादित भूमि पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित हो। इस के अतिरिक्त विभिन्न न्यायिक दृष्टयान्तो में माननीय न्यायाल्यो द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के मामले में तीनो ही बिन्दु अपने पक्ष में प्रमाणित करने होगे यदि

Scanned with OKEN Scanner

में से एक भी बिन्दु वह अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहता है तो अस्थाई
ाज्ञा जारी नही कि जा सकती है हस्तगस्त प्रकरण में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टया
ने का बिन्दु अपने पक्ष में साबित नही किया है अतः सुविधा का संतुलन व अपूणीय
का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। ये दोनो बिन्दु ही उक्त अनुसार प्रार्थीगण के
द्ध निर्णीत किये जाते है परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
ोकर किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संन्दर्भ में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का
न,अपूणीय क्षति, तीनो ही बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है इसलिये
गण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज
जाकर भूमि खसरा नम्बर 133,138,145,154 में दिनांक 04.10.2023 को जारी अंतरिम
ाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न वाद पत्र
मेरे द्वारा आज दिनांक 02.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/6/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner